



SET

State Eligibility Test

राज्य पात्रता परीक्षा

राजनीति विज्ञान

पेपर – 2 || भाग – 4

भारत में राजनीतिक संस्थाएँ
एवं राजनीतिक प्रक्रियाएँ



Unit -7

भारत में राजनीतिक संस्थाएँ

1.	भारतीय संविधान का निर्माण	1
2.	संविधान निर्माण में राष्ट्रीय आन्दोलन का योगदान	7
3.	भारत में संविधान वाद	12
4.	संविधान में संशोधन	23
5.	निर्वाचन प्रक्रिया	25
6.	स्थानीय शासन संस्थाएँ	29
7.	संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएँ	33
8.	संविधान के भाग	40
9.	अनुसूचियाँ	44
10.	प्रस्तावना	50
11.	संघ एवं राज्यक्षेत्र	57
12.	मौलिक अधिकार	63
13.	नीति निदेशक तत्व	83
14.	मौलिक कर्तव्य	91
15.	संघ सरकार (राष्ट्रपति) (उपराष्ट्रपति) (प्रधानमंत्री) (महान्यायवादी)	92
16.	संसद	120
17.	संसदीय समितियाँ	136
18.	न्यायपालिका	144
19.	नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक	155
20.	राज्य सरकार (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता)	156

21.	विधान मण्डल	165
22.	उच्च न्यायालय	170
23.	संघात्मक शासन	174
24.	केन्द्र राज्य विधायी संबंध	179
25.	अन्य संस्थाएँ	182
26.	केन्द्र राज्य वित्तीय संबंध	189
27.	भारत में राष्ट्रनिर्माण की चुनौतियाँ	193
28.	सिविल सेवा	203
<u>Unit – 8</u>		
भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ		
1.	राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास	208
2.	विकास योजना	212
3.	नव आर्थिक नीति	215
4.	मानव विकास	217
5.	वैश्वीकरण	219
6.	पहचान की राजनीति	221
7.	सामाजिक समाज के समुह	224
8.	नागरिक समाज के समुह	227
9.	भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण	231
10.	भारत में लिंग एवं राजनीति	237
11.	चुनावी राजनीति	239

भारत में राजनीतिक संस्थाएँ

→ भारतीय संविधान का निर्माण -

औपनिवेशिक विरासत - 26 जनवरी, 1950 को भारत के नए गणराज्य का शुभारम्भ हुआ और भारत अपने लम्बे इतिहास में पहली बार एक आधुनिक ढाँचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतन्त्र बना।

लोकतन्त्र एवं प्रतिनिधि संस्थाएँ संस्थाएँ भारत के लिए पूर्णतया नई नहीं हैं।

प्राचीनकाल में कबीले की आम सभा को 'समिति' कहते थे और सभा अपेक्षतया जोड़े और चयनित वरिष्ठ लोगों की बनायची, जो आधुनिक विधानमण्डलों में उच्च सदन के समान थी।

वहीं से आधुनिक संसद का प्रारम्भ माना जा सकता है। आधुनिक अर्थों में, संसदीय शासन प्रणाली एवं विधायी संस्थाओं का प्रारम्भ एवं विकास लगभग दो शताब्दियों तक ब्रिटेन के साथ भारत के संबन्धों से जुड़ा हुआ है।

परन्तु यह मान लेना सही नहीं होगा कि बिल्कुल ब्रिटेन जैसी संस्थाएँ किसी समय भारत में स्थापित हो गईं।

आज जिस रूप में भारत की संसद और संसदीय संस्थाओं को हम जानते हैं, उनका विकास भारत में ही हुआ।

→ इनका विकास विदेशी शासन से मुक्ति के लिए और स्वतंत्र लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं की स्थापना के लिए किए गए अनेक संघर्षों और ब्रिटिश शासकों द्वारा कठ-कठ कर, धीरे-धीरे और कई दुर्गों के लिए गए संबंधित सुधारों के द्वारा हुआ, जो कि निम्न प्रकार हैं :-

1773 का रैग्युलेटिंग एक्ट

- ① कम्पनी डायरेक्टरों को ब्रिटिश संसद ने कम्पनी के राजस्व, धिवाली एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों से अवगत कराने का निर्देश दिया।
- ② इस अधिनियम द्वारा 1774 ई. में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी।
- ③ बंगाल में एक प्रशासनिक मण्डल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर-जनरल तथा चार पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद सैन्य तथा नागरिक प्रशासन से संबंधित थे, निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे।
- ④ कानून बनाने का अधिकार गवर्नर-जनरल समेत उसका परिषद को दे दिया गया, परन्तु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था।
- ⑤ बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया।

1793 का चार्टर एक्ट

1. कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया।
2. कम्पनी के नियंत्रण अधिकारियों को वेतन भारतीय कौष से दिया जाने लगा।
3. गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया।

1813 का चार्टर एक्ट

→ इसी शिष्टाचारों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कम्पनी की दयनीय आर्थिक स्थिति के आलोक में 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे।

1. कम्पनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किन्तु स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

२. कम्पनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।

३. इसी धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई।

1833 का चार्टर एक्ट

(५.) भारत में दास प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर-जनरल को निर्देश दिया कि वह भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(६.) चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कम्पनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।

(७.) गवर्नर-जनरल की परिषद् में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई।

(५.) इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि कम्पनी के पदों में निवास करने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर कम्पनी के किसी के किसी पद से, जिसके वह योग्य है, वंचित नहीं किया जाएगा।

1853 का चार्टर अधिनियम -

1. बंगाल के लिए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई।
2. कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई।
3. निदेशक मण्डल में सदस्यों की संख्या 25 से कम कर 18 कर दी गई तथा इनमें से 6 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को दिया गया।
4. कार्यकारी परिषद् के 6 नावत सदस्यों को परिषद् का पूर्ण सदस्य बना दिया गया।

1858 का भारतीय शासन अधिनियम

1. भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया।
2. अब भारत का शासन, ब्रिटेन साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव को चलावा था, जिसकी सहायता के लिए - 15 सदस्यीय भारत परिषद् का गठन किया गया।
3. अनुषङ्ग सिविल सेवा में नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगीं।

केंद्रीय सरकार

कार्यपालिका

मुख्य कार्यपालिका का अधिकारी गवर्नर-जनरल था। 1919 के अधिनियम में सभी विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय दो भागों में बाँटा गया।

गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के आठ सदस्यों में तीन भारतीय नियुक्त किए, जिन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य जैसे विभाग सौंपे गए।

पुल्ल के आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप का गवर्नर-जनरल की पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

गवर्नर-जनरल को माँगों पर कर्तवी का अधिकार था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था।

व्यवस्थापिका

(1) सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक माँगों व स्थगत प्रस्तावों को ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे।

(2) राज्यपरिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, जिससे गवर्नर जनरल की सहमति पर बढ़ाया भी जा सकता था।

→ भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का योगदान -

→ भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण रहा है।

→ इस आन्दोलन की शुरुआत 1857 ई. में हुए सिपाही विद्रोह से ही मानी जाती है।

→ बंगाल विभाजन के बाद भारत के लोग अपना खुद का एक संविधान निर्माण की बात सोचने लगे थे।

→ वर्ष 1909 के भारतीय परिषद् अधिनियम में भारतीयों को सीमित मात्रा में अधिकार दिए गए थे।

→ स्वराज पार्टी की स्थापना भी इसी उद्देश्य के साथ हुई थी कि केन्द्रीय परिषद् में भारतीयों को उचित स्थान प्राप्त हो।

→ भारत के संविधान निर्माण की पहली पहल ले हरि सांघी की रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी, जिसमें भारतीयों के लिए पहली बार मूल अधिकार की बात की गई।

नेहरू समिति की रिपोर्ट (1928)

सारमन कमीशन द्वारा भारतीय नेताओं को एक सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती पेश किए जाने के उपरान्त मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे नेहरू समिति अथवा नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है।

इस समिति के अन्य सदस्य सुभाषचंद्र बोस तथा तेजबहादुर सप्रू थे।

10 अगस्त, 1928 को प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है।

यह भारतवासियों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाने का प्रथम प्रयास था।

सारमन कमीशन

- भारत में व्याप्त परिस्थितियों को जाँचने एवं उन पर अपना प्रतिवेदन देने हेतु सर जॉन सारमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, - जिसे नेहरू समिति अथवा नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है।

इस आयोग में एक भी भारतीय को सदस्य न नियुक्त करने पर भारतीयों ने स्वयं को अपमानित समझते हुए इस आयोग का विरोध किया।

साहमत आयोग ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की सिफारिश ली गई, लेकिन उन्हें में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना को स्थगित रखा गया।

भारत सरकार अधिनियम (1935)

भारत में 1861 ई. में आरम्भ हुई संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का आत्म-चरण 1935 का भारत सरकार अधिनियम था।

यह कहा भी गया है कि 1935 के सुधार ब्रिटेन द्वारा भारत में अपना शासन कायम रखने और सन्तुलन बनाए रखने के प्रयत्न में किया गया सर्वाधिक धूर्ततापूर्ण और आखिरी प्रयत्न था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे :-

इस अधिनियम में प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आमुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था।

इसमें दो शर्तें थीं - प्रथम, रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें संघ में सम्मिलित न हों।

द्वितीय - शर्त थी कि रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाला रियासतें संघ में सम्मिलित न हों, जिन शर्तों पर इत सभी रियासतों को संघ में सम्मिलित होना था, उनका उल्लेख एक पत्र में किया जाना था।

- केंद्र में समस्त संविधान का केंद्रबिन्दु गवर्नर - जनरल था। प्रशासक विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया - सुरक्षित एवं हस्तान्तरित।

- संघीय सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष होना था। इसके सदस्यों में से 15-20 प्रांतों के और अधिकारिक 15-20 सदस्य रियासतों के होते थे।

- सभी विषय तीन सूची में बाँटे गए।

- प्रांतों को स्वायत्तता एवं प्रभु विधिक पहचान बनाने का अधिकार प्रदान करना।

- गवर्नर प्रांत में राज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था, जो महामहिम राज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता था।

- सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में बंधे की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया।

- केंद्र में द्वैध - शासन की स्थापना की गई।

माउण्टबैटन योजना (1947)

→ हैरा में साम्प्रदायिक हिंसा और गृहयुद्ध की स्थिति की तीव्रता को देखते हुए 3 जून, 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउण्टबैटन ने भारत और पाकिस्तान के मध्य छठवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ एक योजना तैयार की, जिसे माउण्टबैटन योजना के नाम से जाना जाता है।

इस योजना के अनुसार, दोनों मुख्य सम्प्रदायों का समायोजन करने एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हैरा को दो भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का परामर्श दिया गया।

→ योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं -
बंगाल और पंजाब को प्रांतीय विधानसभा को यह कहा जाए कि वे दो भागों में आधेविष्ट हो।

एक भाग में मुस्लिम बहुमत वाले जिलों को प्रांतीय होंगे और दूसरे भाग में शेष प्रांतों।

दोनों भागों के सदस्य पृथक् रूप से इस बात के लिए मतदान होंगे कि क्या उस प्रांत का विभाजन किया जाए।

→ भारत में संविधानवाद

→ संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते, जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है।

→ अधिकारियों को मतमाने निर्णय की छूट देने के स्थान पर 'कानून के राज्य' का पक्ष लेना ही संविधानवाद है।

लोकतन्त्र

→ लोकतन्त्र - "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है।"

→ जिसका मतलब बिल्कुल साफ है लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित में कार्य करने की एक शासन प्रणाली है।

→ समय और परिस्थितियों के अनुसार लोकतन्त्र की अवधारणा भी बदलती गई, बुद्धिजीवियों ने लोकतन्त्र की विभिन्न अवधारणा रखी।

→ जिसमें से बहुत सारी आज तक क्रियान्वित नहीं हुई।

→ वर्ष 1909, 1919, 1935 के लोकतांत्रिक प्रावधानों ने भारत सरकार अधिनियमों में अपना स्थान बना लिया।

→ वर्ष 1950 के दौरान संविधान सभा के भीतर विचार-विमर्श होने के बाद ही स्वातंत्र्योत्तर भारत में लोकतन्त्र लागू कर दिया गया।

→ भारत का संसदीय स्वरूप गाँधीवादी सिद्धान्तों के आलोक में ग्रामस्तरीय सरकार की तुलना में सार्वभौम वयस्क मताधिकार व आवधिक चुनाव के सिद्धान्त पर आधारित है।

* प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र

• प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र को मानने वाले भारत में लोकतन्त्र को सफल मानते हैं।

• यह लोकतन्त्र, भागीदारी तथा प्रतिस्पर्धा पर टिका हुआ है।

• ये भारत में चुनाव की प्रणिकता और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा दर्शाए जाते हैं।

• यह लोकतन्त्र मतदान प्रतिशत और पार्टियों द्वारा पड़े हुए वोटों की गणना भागीदारी को दर्शाता है।

• वे मतदान, प्रतिशत और मत प्रतिशत को प्रबल प्रवृत्तियों को उपलब्ध करते हैं।

- वे मतदान प्रोत्साहन और निर्वाचन क्षेत्र विशेष से सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों के साथ भागीदारी के बहु परिवर्तनीय संबंध पर विचार करते हैं।

- इस आधार पर कि यह विश्लेषण सर्वेक्षण पर आधारित होता है और किसी क्षेत्र-विशेष के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखता है।

- तथापि कुछ विद्वान् सर्वेक्षण विश्लेषण को ऋतियों से भरपूर मानते हैं, क्योंकि यह गुणवत्तात्मक आँकड़ों द्वारा समर्थित नहीं होता।

- तथा चुनावों के बीच की अवधि के लिए आँकड़ों भी प्रदान नहीं करते।

- प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र ने भारत में राष्ट्र-निर्माण में योगदान दिया।

- पूर्व दशकों में, विशेषज्ञों का ध्यान इस बात की जाँच करने पर लगा था कि इसमें सार्वभौम व्यवस्था सत्ताधिकार और आवधिक चुनाव की पुनर्स्थापना के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार सहायता की है।

* सत्तावाचक लोकतन्त्र

- भारत में सत्तावाचक लोकतन्त्र को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

- सत्तावाचक लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, कल्याणवाहक तथा विकास के सिद्धान्त पर आधारित है।

- समग्र समाज भी सत्तावाचक लोकतन्त्र एक एक अनिवार्य संबन्धित रहा है।

- यह सभी संघों एवं सामूहिक कार्यों को समग्र समाज के रूप में लेता है।

- सत्तावाचक लोकतन्त्र विषयक ध्यान की दृष्टि को आवश्यक मानता है।

- इसको राष्ट्र-राज्य के सामने एक-चुनाँती के साथ-साथ देश की लोकतांत्रिक विषय-वस्तु में धारणा के रूप में भी लिया जाता है।

- 73^{वाँ} तथा 74^{वाँ} संविधान संशोधन के द्वारा विकेंद्रीकरण को लोकतांत्रिक कर दिया गया इससे लोकतन्त्र का कार्यक्षेत्र विस्तृत, योग्य, ताकि उसमें महिलाएँ अन्य पिछड़े वर्ग व सामाजिक के सभी वर्ग आ सकें।